प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' उन्नीस '

[13/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 2464]

मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-36/2017/25-2 / 185 भोपाल, दिनांक 12-2-2018

प्रति,

आयुक्त ,
आदिवासी विकास
म0प्र0 भोपाल

विषयः-हायर सेकेण्डरी शालाएं योजना क्रमांक 581 की प्रशासकीय स्वीकृति बावत्।

संदर्भः-आपकी यू0ओ0टीप क्रमांक 13836 दिनांक 20/06/2017.

मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 2 दिनांक 17 जनवरी 2018 द्वारा अनुमोदन अनुसार "हायर सेकेण्डरी शालाएं योजना" को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी शालाएं उन्नयन प्रति वर्ष 40 संस्था के मान से कुल 120 संस्था उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे:-

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं को शामिल किया जावे।
2. संचालित हाईस्कूल की सूची निकटम हायर सेकेण्डरी से दूरी के घटते क्रम में तैयार की जावे। सूची राज्य स्तर पर एक बनाई जावे। जिन हाईस्कूल के विद्यार्थी हायर सेकेण्डरी में जाने के लिए सर्वाधिक दूरी तय करते हैं, उन शालाओं के नाम उपर रखा जावे।
3. उक्त सूची में से ऐसी शालाओं के उन्नयन हेतु चयनित किया जावे। जिनमें उन्नयन पश्चात कम से कम 100 विद्यार्थी कक्षा 11वीं में उपलब्ध होंगे। इस गणना के लिये यह माना जाएगा कि 08 कि0मी की परिधि के हाईस्कूल के सभी विद्यार्थी हायर सेकेण्डरी में प्रवेश लेंगे।
4. यह सूची राज्य स्तर की प्राथमिकता सूची होगी। प्रतिवर्ष लक्ष्य अनुसार सूची में से क्रमानुसार हाईस्कूल का उन्नयन किया जावेगा।

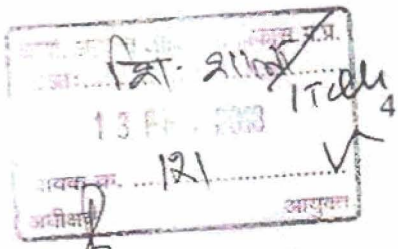

3. हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी शालाएं उन्नयन में प्रति संस्था 18 पद के मान से 120 संस्था हेतु कुल 2160 पद सृजन की स्वीकृति दी जाती है। हायर सेकेण्डरी शालाएं

(6)

में नवीन पद संरचना अनुसार पद में पूर्व से हाईस्कूल के रूप में स्वीकृत पद समायोजित किये जाते हैं।

4. पूर्व के भवन विहीन 74 हायर सेकेण्डरी शालाएं एवं 120 नवीन हायर सेकेण्डरी शालाएं कुल 194 हायर सेकेण्डरी शालाएं भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

5. योजना का वर्तमान नाम "हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाएँ" को संशोधित कर "हायर सेकेण्ड्री शालाएँ" किया जाता है। योजना क्रमांक 9817- व्यावसायिक शिक्षा को हायर सेकेण्ड्री शालाएँ योजना क्रमांक 0581 में विलय की स्वीकृति दी जाती है।

6. मांग संख्या 53 योजना क्रमांक 581, मांग संख्या 64 योजना क्रमांक 9417 एवं मांग संख्या 33 योजना क्रमांक 9817 में प्रावधानित बजट को मांग संख्या 33 योजना क्रमांक 0581 में तथा मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 4202 योजना क्रमांक 0581 उद्देश्य शीर्ष 32 लघु निर्माण कार्य को 64 वृहद निर्माण कार्य 001 वृहद निर्माण कार्य मद में सम्मिलित की जाने कार्यवाही आगामी बजट में किया जावे।

7. उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 0109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0102-अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 0581 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालायें (वेतन भत्ते एवं अन्य उद्देश्य शीर्ष) , मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 0102-अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 0581 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालायें 32 लघु निर्माण कार्य ,मांग संख्या 53 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 196 जिला पंचायतों को सहायता, 197 जनपद पंचायतों को सहायता एवं 198 ग्राम पंचायतों को सहायता 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सबस्क्रीम) 0581 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालायें 42 सहायक अनुदान 009 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान एवं मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रांरभिक शिक्षा 192 नगर पालिकाओं को सहायता, 193 नगर पंचायतों को सहायता 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सबस्क्रीम) 9417 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालायें 42 सहायक अनुदान 10 नगरीय निकायों के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

-3-

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(ए)1/2013/इ/चार, दिनांक 10 अप्रैल 2015 द्वारा वित्तीय सलाहकार को पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार के तहत यू0ओ0क्रमांक 398/2017/एफएएस/25 दिनांक 06/02/2018 द्वारा दी गई सहमति के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(महेन्द्रपाल सिंह निरंजन)
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-36/2017/25-2 भोपाल,दिनांक

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल।
7. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
8. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास की ओर विभागीय बेव-साइट एर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

FAS/PAITHANKAR